**प्रेस नोट**

**थाना बरुआसागर, झाँसी**

**दिनाँक – 20.02.2026**

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों के रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही,**
- **हत्या के अभियोग में वाँछित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार एवं 01 विधि विरुद्ध बालक को पुलिस अभिरक्षा में लेते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 20.02.2026 को थाना बरुआसागर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 34/2026 धारा 103(1)/191(2)/191(3)/115(2) BNS में वांछित अभियुक्तगण **1.** किशन उर्फ कृष्णा पुत्र भाउ उर्फ बाल मुकुन्द बरार उम्र करीब 22 वर्ष, **2.** पंकज पुत्र मातादीन उम्र करीब 36 वर्ष निवासीगण मु0 इंदीवर नगर कस्बा व थाना बरुआसागर, जिला झाँसी को गिरफ्तार किया गया एवं एक विधि विरुद्ध बालक को पुलिस अभिरक्षा में लेते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

**<u>घटना का संक्षिप्त विवरण –</u>**

दिनांक 18.02.2026 को समय लगभग शाम 07:30 बजे मुकदमा वादिया के पति विनोद साहू पुत्र स्व० नाथूराम साहू घर पर खाना बना रहे थे। इसी दौरान कृष्णा पुत्र भाऊ एवं पंकज पुत्र मातादीन तथा अन्य अज्ञात व्यक्ति निवासी बरुआसागर गैस चूल्हा ठीक कराने के लिए आए। पैसों के लेन-देन को लेकर आपस में विवाद हो गया। विवाद के दौरान मुकदमा वादिया के पति विनोद साहू उपरोक्त बीच-बचाव करने हेतु आगे आए, तभी कृष्णा ने जान से मारने की नीयत से उन पर चाकू से वार कर दिया। झगड़े में कृष्णा, पंकज एवं उनके अन्य परिजन भी शामिल थे, उक्त व्यक्तियों द्वारा अन्य मोहल्ले के लोगों के साथ भी मारपीट करने के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 34/2026 धारा 103(1) BNS 1. कृष्णा बरार पुत्र भाऊ बरार, 2. पंकज बरार पुत्र मातादीन व अन्य अज्ञात व्यक्ति निवासीगण मु0 खांदी कस्बा व थाना बरुआसागर, झाँसी पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन व बयान गवाहान के आधार पर धारा 191(2),191(3),115(2) BNS की बढ़ोत्तरी करते हुए आज दिनांक 20.02.2026 को मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभि0 गण **1.** किशन उर्फ कृष्णा पुत्र भाउ उर्फ बाल मुकुन्द बरार उम्र करीब 22

वर्ष, **2.** पंकज पुत्र मातादीन उम्र करीब 36 वर्ष निवासीगण मु0 इंदीवर नगर कस्बा व थाना बरुआसागर, जिला झाँसी को गिरफ्तार किया गया एवं प्रकाश में आये एक विधि विरुद्ध बालक को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। पूँछताँछ के क्रम में मृतक विनोद साहू की हत्या में प्रयोग किया गया एक अदद आलाकत्ल चाकू बरामद किया गया।

**<u>बरामदगी का विवरण –</u>**

1. एक अदद आला कत्ल चाकू संबंधित मु0अ0सं0 34/2026 धारा 103(1),191(2),191(3), 115(2) BNS

**<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –</u>**

**1.** किशन उर्फ कृष्णा पुत्र भाउ उर्फ बाल मुकुन्द बरार उम्र करीब 22 वर्ष,

**2.** पंकज पुत्र मातादीन उम्र करीब 36 वर्ष निवासीगण मु0 इंदीवर नगर कस्बा व थाना बरुआसागर, जिला झाँसी

**<u>गिरफ्तार करने वाली टीम –</u>**

**1.** थानाध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह थाना बरुआसागर झांसी
**2.** उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना बरुआसागर झांसी
**3.** उ0नि0 श्री विशेष पाल सिंह थाना बरुआसागर झांसी
**4.** उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना बरुआसागर झांसी
**5.** का0 515 पवन कुमार थाना बरुआसागर झांसी
**6.** का0 663 विमलेश कुमार थाना बरुआसागर झांसी